

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (नं)
PART II—Section 3—Sub-section (M)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1984/आषाढ़ 21, 1906
No. 325] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1984/ASADHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
विकास आयुक्त (घोषधि) का कार्यालय
प्रावेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

का० घा० 502 (घ) :—केन्द्रीय सरकार, घोषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (रसायन और उर्वरक विभाग) के प्रावेश सं० का० घा० 17 (घ), सारीख 8 जनवरी 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त भादेश से उपाबद्ध सारणी मे, क्रम सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"1	सैलिसिलिक अम्ल	35 17 (४० प्रति कि० ग्रा०)
		[सं० 8 (45)/ 81-डी II]
		ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 12th July, 1984

S.O. 502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 17(E), dated the 8th January, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said Order, for Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be substituted, namely:—

1	2	3
"1. Salicylic Acid		35.17 (Rs. per Kg)".

[No. 8(45)/81-D. II]

E.N. MURTHY, Dy. Secy